उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 67/2020/1690/छप्पन-2020-29(सा0)/2020
लखनऊ, दिनांक: 08 अक्टूबर, 2020

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन निदेशालय,उत्तर प्रदेश के परिचालन इकाई के अन्तर्गत पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर कै0 सुधीर कुमार को रू0 05.00/- लाख (रूपए पाँच लाख मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक पर शासनादेश संख्या:- 142/2018/2657/छप्पन-2018-23/17 दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रेत्तर 02 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। जिसके अनुपालन में कै0 सुधीर कुमार द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के पूर्वाह्न में अपना योगदान प्रस्तुत किया गया, जिनकी संविदा सेवा दिनांक 27 दिसम्बर, 2020 को समाप्त हो रही है। उक्त के दृष्टिगत निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के माध्यम से कै0 सुधीर कुमार की संविदा अवधि वर्तमान पारिश्रमिक रूपए 05.25/- लाख (रूपये पाँच लाख पच्चीस हजार मात्र) एवं शासनादेश संख्या: 1422/छप्पन-2011-17/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार यथासमय अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि पर दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 से अग्रेत्तर 05 वर्ष अर्थात दिनांक 27 दिसम्बर, 2025 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन के निर्णयार्थ उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः निदेशक, नागरिक उड्डयन के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 की परिचालन इकाई के अन्तर्गत पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर कार्यरत कै0 सुधीर कुमार की संविदा अवधि वर्तमान मासिक पारिश्रमिक रु0 05.25/- लाख (रूपये पाँच लाख पच्चीस हजार मात्र) एवं शासनादेश संख्या: 1422/छप्पन-2011-17/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार यथासमय अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि पर दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 से आगामी 02 वर्ष (अर्थात 27 दिसम्बर, 2022 तक) के लिए बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- कै0 सुधीर कुमार की सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी।

4- कै0 सुधीर कुमार से संविदा पर नियुक्ति/सेवा वृद्धि के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः हस्ताक्षरित अनुबन्ध-पत्र प्राप्त कर उसके निष्पादन हेतु शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

कै0 सुधीर कुमार,
ए-127 सेक्टर-46,
नोएडा, गौतम बुद्धनगर
उ0प्र0-201303 ।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 67/2020/1690(1)/छप्पन-2020-29(सा0)/2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कै0 सुधीर कुमार से निर्धारित प्रपत्र पर पुनः हस्ताक्षरित अनुबन्ध-पत्र प्राप्त कर उसके निष्पादन हेतु शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।